गठन करके उनके माध्यम से उनकी कृषि उपज में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार भविष्य में इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों की भू-जोतें अनार्थिक हो गई हैं, अतः अपने कृषि उत्पादन, उत्पादकता और लाभकारिता में वृद्धि करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाना उनके लिए संभव नहीं है।

(ग) सरकार ने इन किसानों को रिआयती दर पर ऋण, बीज, उर्वरक व कीटनाशियों जैसे निवेशों की आपूर्ति करने के लिए सहकारी समितियों को कारगर एजेन्सियों के रूप अभिज्ञात किया है। इसके अलावा, किसानों को अपने कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था कर रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनुसंधान कार्य

669. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसका विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसंधान कर्ताओं को इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इन अनुसंधान केन्द्रों पर हुए अनुसंधानों के दौरान हासिल उत्पादन-दर में तथा इन अनुसंधानों के आधार पर किसानों द्वारा खेती के दौरान हासिल उत्पादन-दर में अत्यधिक अन्तर है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जिला-स्तर पर किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी हां, किसानों को कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों (कृ० प्र० के०) और कृषि विज्ञान केन्द्रों (कृ० वि० के०) द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

कृ० प्र० कें० और कृ० वि० कें० कृषि के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं जिनमें फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी, मात्स्यिकी और गृह विज्ञान शामिल है।

दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर दुग्ध वितरण संबंधी व्यवस्था :

670. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत छः माह के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतिदि

औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी थी ;

(ख) उपभोक्ताओं को प्रतिदिन दूध की औसतन कितनी मात्रा बेची जाती है और दिल्ली दुग्ध योजना को इसकी कितनी कीमत प्राप्त होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के सभी बूथों पर दूध की बिक्री के लिये कोई एक समान व्यवस्था नहीं बनाई गई है ;

(घ) दिल्ली में प्रत्येक बूथ पर दूध का वितरण करने की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है ; और

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों के लिये एक समान और किफायती दुग्ध बिक्री व्यवस्था को न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विगत छः माह के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 5.00 लाख लीटर प्रतिदिन रही है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विगत छः महीनों (जनवरी, 1993 से जून, 1993) के दौरान बेचे गये दूध की मासिक औसत मात्रा और अधिप्राप्ति लागत इस प्रकार है :--

माह	प्रतिदिन बेचे गए दूध की औसत मात्रा (लीटर में)	दूध की अधिप्राप्ति पर प्रतिदिन की औसत लागत (रुपए प्रति लाख)
जनवरी, 93	3,96,572	22.06
फरवरी, 93	3,97,975	23.59
मार्च, 93	3,96,086	16.72
अप्रैल, 93	3,96,758	16.40
मई, 93	4,03,197	11.68
जून, 93	3,94,922	11.24

(ग) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने बूथों पर दूध बेचने की की एक समान तथा अत्यधिक किफायती प्रणाली अपनाई है । उपभोक्ताओं को इन बूथों पर "पहले आओ" और "पहले पाओ" आधार पर दूध की आपूर्ति की जाती है, जिन्हें डिपो एजेन्ट अर्थात् नियत मासिक परिलब्धि के आधार पर इस कार्य में अंशकालिक आधार पर लगे समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों और कमीशन के आधार पर रियायत प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों) द्वारा चालाया जाता है। इसके अलावा होम डिलीवरी एजेन्ट के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को

दूध की आपूर्ति की जा रही है।

Central Assistance to Drought Affected State

671. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the drought situation in certain parts of the country has been so grave that the parents particularly in Orissa had to sell their children or to give them in bondage to save them from starvation deaths;

(b) if so, what is the number of such cases ;

(c) whether any central team has visited the drought affected states in the country ;

(d) if so, what are the findings and recommendations of the Central team ;

(e) what is the quantum of the central assistance given to drought affected states, State-wise ; and

(f) whether any review of the relief programme taken up by the State Governments has been made and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) to (f) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Measures to contain losses of Delhi Milk Scheme

672. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as alleged Delhi Milk Scheme is riddled with bungling, mismanagement and corruption ;

(b) if so, what is the accumulated loss suffered by DMS till date; and

(c) whether any critical analysis of the working of the DMS has been made by Government, if so, what are the details thereof and the measures taken by Government to improve its working to minimise losses ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) No, Sir.

(b) The accumulated loss of Delhi Milk Scheme from its inception in November, 1959 till date are Rs. 226·72 crores as assessed on provisional basis. The losses are mainly due to the fixation of sale price of milk lower than the cost of production, in order to fulfil its avowed policy to provide remunerative market to the producers of milk on one hand and to make available the quality milk at reasonable rates to the citizens of Delhi/New Delhi on the other hand.

(c) The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), conducted a study of the staff strength in Delhi Milk Scheme. As a result of the recommendations the staff strength of DMS has been reduced by about 21% whereas its installed capacity has been increased from 3.75 lakh litres per day to 5.00 lakh litres per day. Various steps have been taken by DMS to reduce the losses by better utilisation of installed capacity effecting economies in the consumption of various utilities/consumables like polythene film, petrol, etc. rationalisation of distribution routes and revision of sale price of milk from time to time.

पशु पालन के संबंध में कार्यकारी दल की सिफारिश

673. श्री राधाकिशन मालवीय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए पशु पालन और डेयरी उद्योग के संबंध में गठित कार्यकारी दल ने यह